

## कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गोरखपुर

36

पत्रांक:- अ-24/एफ0एस0-2012

दिनांक: 16/1/2013

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (मानचित्र)  
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,  
गोरखपुर।

विषय:- प्लॉट/खसरा नं० 54/2, 53 MI रुस्तमपुर, जिला-गोरखपुर में निर्मित मेसर्स रायल रेजीडेन्सी इन्फ्राटेक प्रा० लि० को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं० शून्य/दिनांक 09.01.2013 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी की आख्या दिनांक 16.01.2013 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:-

भवन की संरचना:-

1. कुल भूखण्ड एरिया 2288.16 वर्ग मी०।
2. निर्मित भूतल कवर्ड एरिया 629.11 वर्ग मी०।
3. प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया प्रथम प्रथम तल से 8वाँ तल वर्ग मी० (प्रत्येक तलवार विवरण)  
629.11 प्रत्येक तल 9वाँ तल से 12वाँ तल तक 381.53 प्रत्येक तल का आच्छादन प्रस्तावित है।
4. बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया 1210.63 वर्ग मी०।
5. बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया प्रस्तावित नहीं वर्ग मी०।
6. बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया प्रस्तावित नहीं वर्ग मी०।
7. भवन की ऊँचाई 37.05 मी० है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। (औद्योगिक भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटेरियल का -

ढाँचागत व्यवस्था:-

1. पहुँच मार्ग - भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 12 मी० रोड की चौड़ाई है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मी० जो मानक के अनुसार है।
3. सैटबैक - प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत् है:-  
ए०-अग्रभाग-09 मी०  
बी०-पृष्ठ भाग-09 मी०  
सी०-पार्श्व भाग प्रथम-09 मी०।  
डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-09 मी० है।

भवन उपविधि के प्रस्तर 3.4.  
5(iv) (क) के अनुसार)

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक संबंध अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4. निकास मार्ग:-प्रस्तावित भवन में 2 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1/1.5, 1/1.25 मी० का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर समस्त स्थानों से ट्रवेलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5. रिफ्यूज एरिया का विवरण वांछनीय नहीं है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1. भूमिगत टैंक:- भूमिगत टैंक 75,000 ली० क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।
2. पम्प:-अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 1620 एल०पी०एम० क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 1620 एल०पी०एम० क्षमता, जौकी पम्प 180 एल०पी०एम० क्षमता का प्राविधानित है।
3. होजरील:- प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एस०-3844 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।
4. वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेट राइजर सिस्टम, एन०बी०सी०-2005 के मानकों के अनुरूप है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में यार्ड हाईड्रेण्ट्स होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई०एस०-13039:1991 के अनुसार वांछित नहीं है।
6. हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम-मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।
7. स्वचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वांछनीय नहीं है।
8. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन०बी०सी० मानकों के अनुसार बेसमेन्ट में प्राविधानित है।
9. टेरिस टैंक:- प्रस्तावित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 ली० क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
10. टेरिस पम्प:- प्रस्तावित भवन टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता वांछित नहीं (एल०पी०एम० स्थापित कराया जाना एन०बी०सी०) के अनुसार है।
11. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानकों के अनुरूप है।
12. स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम वांछित है।  
ए०-फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग का 2 घण्टा है।  
बी०-सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था वांछित है।  
सी०-स्मोक रिजर्ववायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर, आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण वांछित है।

(3)

13. प्रेशराईजेशन प्रणाली:-

1. प्रेशराईजेशन वांछनीय नहीं है।
2. प्रेशराईजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टरलिंग है जो एन0बी0सी0 के मानक के अनुरूप है।

14. एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये हैं।

15. पी0ए0 सिस्टम:- पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार मेसर्स अतुल श्रीवास्तव रायल रेजीडेन्सी इन्फ्राटेक प्रा0लि0 में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोडऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक-पत्र व मानचित्र।

  
(वी0पी0 सिंह)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
गोरखपुर  
गोरखपुर

प्रतिलिपि:-

1. अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
2. आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।